न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 135/17
निर्णय दिनांकः– 13.06.2018

1. शान्तिदेवी पत्नि गंगाराम
2. मनभरीदेवी पत्नि रूधनाथ
   समस्त जाति खटीक नि0 डूंगरीखुर्द तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रार्थीगण

बनाम

1. माधुरी कुमारी पत्नि कुशालसिंह
2. नीतू पुत्री कुशालसिंह
3. बबली पुत्री कुशालसिंह
   समस्त जाति राजपूत नि0 डूंगरीखुर्द हाल नि0 डूंगरी हाउस, प्रतापनगर खातीपुरा रोड़ जयपुर राज0
4. गुलाबदेवी पत्नि जगदीशप्रसाद
5. कोयलीदेवी पत्नि नानगराम
   समस्त जाति जाट नि0 डूंगरीकला तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
6. तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि आराजीयात खं0नं0 541/163 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 544/163 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 3 विस्वा वाकै डूंगरीखुर्द प0क्षे0 डूंगरीखुर्द गि0ह0 करणसर तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजीयात है जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। उपरोक्त आराजीयात के पड़ौस में आराजीयात खं0नं0 163/2 रकबा 12 विस्वा, खं0नं0 540/163 रकबा 2 बीघा किता 2 कुल रकबा 2 बीघा 12 विस्वा वाकै डूंगरीखुर्द प0क्षे0 डूगरीखुर्द गि0ह0 करणसर तह0 कि0रेनवाल मे स्थित है जो अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 की खातेदारी मे अंकित है व खं0नं0 542/163 रकबा 10 विस्वा, खं0नं0 543/163 रकबा 10 विस्वा किता 2 कुल रकबा 1 बीघा वाकै ग्राम डूंगरीखुर्द तह0 कि0रेनवाल जो प्रार्थी सं0 4 व 5 के संयुक्त खातेदारी की है जिनकी जमाबन्दीया संलग्न है। इस प्रकार प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 लगा0 5 पड़ौसी काश्तकार है एवं रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है प्रार्थीगण की आराजी खं0नं0 541/163 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 544/163 रकबा 2 बीघा 1 विस्वा किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 3 विस्वा अप्रार्थीगण की आराजीयात के लगवा है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की कब्जें काश्त खातेदारी की आराजी अनाधिकृत रूप से दबाना चाहता है व सीमा को लेकर

अधिकारी
लेक

Scanned by CamScanner

विवाद करते है। प्रार्थीगण ने दिनांक 27.06.16 को तहसीलदार कि0रेनवाल के आदेश क्रंमाक भू0अ0/16/2411 दिनांक 13.06.16 की पालना में दिनांक 27.06.16 को पटवारी हल्का के जरिये उपस्थित मौतबिरान के समक्ष सीमाज्ञान कराकर पत्थर लगाकर निशान कायम करने लगे तो अप्रार्थीगण विवाद करने लगे एवं सम्पूर्ण रकबें की सीमा पर निशानात लगाने में व्यवधान पैदा किया ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के लिए यह प्रा0पत्र बाबत कराये जाने पत्थरगढ़ी पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया। अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 3 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प न्याय आपके द्वार 2018 में न्यायालय हाजा में पेश हुयी। अप्रार्थी सं0 4 व 5 की ओर से वकील श्री मोहनलाल वर्मा ने वकालतनामा पेश कर पत्थरगढ़ी हेतु सहमति दी।

न्यायालय ने वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रार्थीगण ने अपनी आराजी की पत्थरगढ़ी बाबत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण ने अपनी आराजी का दिनांक 27.06.2016 को नियमानुसार सीमाज्ञान करवा रखा है जिसकी फर्द मौका सीमाज्ञान पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में न्यायालय मुताबिक सीमाज्ञान प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढ़ी की जाना न्यायोचित समझता है।

निर्णय

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू0राजस्व अधिनियम 1956 [illegible] राजस्व लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की आराजी [illegible]0नं0 541/163 रकबा 1 बीघा 2 विस्वा, खं0नं0 544/163 रकबा 2 बीघा 1 [illegible]स्वा किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 3 विस्वा वाकै डूंगरीखुर्द प0क्षे0 डूंगरीखुर्द [illegible]ह0 करणसर तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 की मुताबिक सीमाज्ञान [illegible]ोर्ट दिनांक 27.06.2016 के पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। [illegible]सीलदार कि0रेनवाल को उक्त निर्णय की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत न्यायालय [illegible] में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
साभर लेक

Scanned by CamScanner